



2026:AHC:16273

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 790 वर्ष 2026

गुड़िया आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आशीर्वाद मिश्रा, संजय कुमार मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. सूची पुनरक्षित की गई।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार मिश्रा, सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार तिवारी तथा राज्य की ओर से विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. सिंह को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदिका द्वारा सत्र वाद संख्या 485 वर्ष 2025, जो मुकदमा अपराध संख्या 0008 वर्ष 2025, धारा 85, 103(1), 238(ए), 240 बी.एन.एस., थाना जटहा बाजार, जनपद कुशीनगर से उत्पन्न हुआ है, में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. यह आवेदिका की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना-पत्र है। प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.09.2025 को पारित आदेश के माध्यम से, आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 23268 वर्ष 2025 में निरस्त किया जा चुका है।
5. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि नये आधार के रूप में आवेदिका की निरुद्धावधि (जेल में बिताया गया समय) को जमानत हेतु विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि आवेदिका दिनांक 07.01.2025 से निरुद्ध है तथा उसके निरुद्धावधि का लगभग एक वर्ष व्यतीत हो चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि यदि आवेदिका को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।
6. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना-पत्र का जोरदार विरोध किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा इस तथ्य पर विचार करने के उपरांत कि द्वितीय जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने हेतु कोई नया आधार उपलब्ध नहीं है, यह न्यायालय आवेदिका को जमानत प्रदान करने हेतु इसे उपयुक्त मामला नहीं पाता है। जमानत प्रार्थना-पत्र निराधार पाया जाता है और तदनुसार निरस्त किया जाता है।
8. तथापि, यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त वाद का निस्तारण यथाशीघ्र किया जाए, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, *विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; (2015) 3 एससीसी 220 तथा हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एससीसी 702* में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, यदि कोई विधिक बाधा न हो।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के उद्देश्य से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं तथा विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

दिनांक : 22 जनवरी, 2026

(शालिनी)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।